आपदा राहत निधि (सी आर एफ) तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन सी सी एफ) से दी जाने वाली सहायता की मदों और मानदंडों की सूची

वर्ष 2005 से वर्ष 2010 तक की अवधि के लिए

(राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रभाग)

गृह मंत्रालय

भारत सरकार

अनुलग्नक

वर्ष 2005-10 की अवधि के लिए आपदा राहत निधि तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से दी जाने वाली सहायता के लिए मदों और मानदंडों की संशोधित सूची।

(गृह मंत्रालय का दिनांक 27 जून, 2007 का पत्र सं. 32-34/2007-एनडीएम-I)

क्रम सं.	मद	सहायता के मानदंड
1.	**अनुग्रह राहत**	
	(क) मृतक व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रह भुगतान।	**प्रति मृतक 1.00 लाख रुपए** ➢ राज्य सरकार द्वारा पदनामित उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मृत्यु के कारण संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि मृत्यु आपदा राहत निधि/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि की योजना में वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण हुई है। ➢ यदि किसी सरकारी कर्मचारी/राहत कार्यकर्ता की, अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के पश्चात बचाव और राहत अभियान में शामिल होने के दौरान अथवा मॉक ड्रिल आदि जैसी तैयारी गतिविधियों के दौरान, मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को प्रति मृतक 1.00 लाख रुपए की दर से अनुग्रह राशि दी जाएगी। ➢ यदि किसी भारतीय नागरिक की विदेश में किसी अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को इस राहत का भुगतान नहीं किया जाएगा। ➢ इसी प्रकार, यदि किसी विदेशी नागरिक की भारतीय भू-भाग में किसी अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को भी इस राहत का भुगतान नहीं किया जाएगा।
	(ख) किसी अंग अथवा आंखों के नष्ट होने पर अनुग्रह भुगतान।	(i) **35,000/-रु. प्रति व्यक्ति** (जब अपंगता 40% से 75% के बीच हो तथा सरकारी चिकित्सक अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित हो)।
		(ii) **50,000/-रु. प्रति व्यक्ति** (जब अपंगता 75% से अधिक हो तथा सरकारी चिकित्सक अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित

		हो)।
	(ग) गंभीर चोट जिसके लिए अस्पताल में रहना अपेक्षित हो।	➢ **7,500/-रु. प्रति व्यक्ति** (गंभीर चोट जिसके लिए एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में रहना अपेक्षित हो)। ➢ 2,500/-रु. प्रति व्यक्ति (गंभीर चोट जिसके लिए एक सप्ताह से कम समय के लिए अस्पताल में रहना अपेक्षित हो)।
	(घ) वृद्ध, अक्षम तथा अनाथ बच्चों के लिए राहत	➢ **20/-रु. प्रति वयस्क, 15/-रु. प्रति अवयस्क** प्रतिदिन।
	(ङ) उन परिवारों के लिए कपड़े और बर्तन/घरेलू सामान जिनके घर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण बह गए हों/पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हों/एक सप्ताह से अधिक समय तक पूरी तरह से जलमग्न हुए हों।	➢ प्रति परिवार **1000/-रु.** कपड़ों के नुकसान के लिए और प्रति परिवार **1000/-रु.** बर्तन/घरेलू सामान की क्षति के लिए।
	(च) उन परिवारों को अनुग्रह राहत जिन्हें आपदा के पश्चात तत्काल भरण-पोषण की अत्यधिक आवश्यकता है। अनुग्रह-राहत केवल उन्हें ही दी जानी चाहिए जिनके पास कोई खाद्य सामग्री शेष नहीं बची हो अथवा जिनके खाद्य रिजर्व आपदा के कारण समाप्त हो गए हैं तथा जिनके पास सहायता के अन्य तत्काल साधन उपलब्ध नहीं है।	➢ **20/-रु. प्रति वयस्क, 15/-रु. प्रति अवयस्क प्रतिदिन।** **<u>अनुग्रह-राहत मुहैया कराने की अवधि</u>** **(i) सूखा और कीट हमले (केवल टिड्डी और चूहों आदि से होने वाले खतरे) से भिन्न प्राकृतिक आपदाएं** ➢ अधिकतक 15 दिनों की अवधि तक। ➢ यदि ऊपर उल्लिखित अधिसूचित प्राकृतिक आपदाएं

		गंभीर प्रकृति की हों तो आपदा राहत निधि के तहत दी जाने वाली सहायता के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन से तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के तहत दी जाने वाली सहायता के लिए गठित केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार राहत 30 दिनों तक के लिए मुहैया कराई जा सकती है। **(ii) सूखा/कीट हमले (केवल टिड्डी और चूहों आदि से होने वाल खतरे)** ➢ राहत अधिकतम 60 दिनों की अवधि तक और गंभीर सूखे/कीट हमले के मामले में 90 दिनों की अवधि तक मुहैया कराई जा सकती है। ➢ यदि सूखे/कीट हमले की स्थिति 90 दिनों से अधिक बनी रहती है तो राज्य स्तरीय समिति विस्तृत समीक्षा के पश्चात, माह दर माह आधार पर उत्पन्न स्थिति की वास्तविक अवधि के साथ-साथ, उस आगे की अवधि के बारे में निर्णय लेगी जिसके दौरान आपदा राहत निधि से राहत मुहैया कराई जा सकती है।
2.	**अनुपूरक पोषण**	**आई सी डी एस मानदंडों के अनुसार 2.00 रु. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन** **राहत मुहैया कराने की अवधि** **(i) सूखा और कीट हमले (केवल टिड्डी और चूहों आदि से होने वाले खतरे) से भिन्न प्राकृतिक आपदाएं।** ➢ आपदा राहत निधि से दी जाने वाली सहायता के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन से तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से दी जाने वाली सहायता के लिए गठित केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार अधिकतक 30 दिनों तक। **(ii) सूखा/कीट हमले (केवल टिड्डी और चूहों आदि से होने वाले खतरे)।** ➢ राहत अधिकतम 60 दिनों की अवधि तक मुहैया कराई जा सकती है। ➢ गंभीर प्रकृति के सूखे/कीट हमले (केवल टिड्डी और चूहों आदि से होने वाले खतरे) के मामले में, आपदा राहत निधि से दी जाने वाली सहायता के लिए गठित

		राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन से तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से दी जाने वाली सहायता के लिए गठित केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार राहत उपलब्ध कराने की अवधि को अधिकतम 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
3.	**लघु और सीमान्त किसानों को निम्नलिखित के लिए सहायता:-**	
	(क) कृषि-भूमि में गाद की सफाई	➢ **6000/-रु. प्रति हेक्टेयर** (जहाँ बालू/गाद जमाव 3" से अधिक है जिसे राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो)
	(ख) पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि से कचरे की सफाई	➢ **6000/-रु. प्रति हेक्टेयर**
	(ग) मत्स्य फार्मों में गाद की सफाई/पुनर्निर्माण/मरम्मत	➢ **6000/-रु. प्रति हेक्टेयर** (इस शर्त के अध्यधीन कि लाभार्थी को सरकारी योजना के अंतर्गत कोई अन्य सहायता/सब्सिडी नहीं मिली हो/वह इनका पात्र नहीं हो)
	(घ) भू-स्खलन, हिम-स्खलन, नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण भूमि के पर्याप्त भाग का क्षरण।	➢ **15,000/-रु. प्रति हेक्टेयर** (सहायता केवल उन छोटे एवं सीमांत किसानों को दी जाएगी जिनकी क्षरण हुई भूमि का स्वामित्व राजस्व अभिलेखों के अनुसार वैध है)
	(ङ) **कृषि इनपुट सब्सिडी जहां फसल की क्षति 50% या इससे अधिक थी।**	
	(i) कृषि फसलों, बागवानी फसलों एवं वार्षिक पौधरोपण फसलों के लिए।	➢ वर्षा सिंचित क्षेत्रों में **2,000/-रु. प्रति हेक्टेयर।** ➢ बीमाकृत सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए **4,000/-रु. प्रति हेक्टेयर।** (क) बिन बोई अथवा परती कृषि भूमि के लिए कोई इनपुट सब्सिडी देय नहीं होगी। (ख) किसी भी छोटी जोत वाले किसान को दी जाने वाली सहायता 250/-रु. से कम नहीं होगी।
	(ii) बारहमासी फसलें	➢ सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए **6,000/-रु. प्रति हेक्टेयर।**

		(क) बिन बोई अथवा परती कृषि भूमि के लिए कोई इनपुट सब्सिडी देय नहीं होगी। (ख) किसी भी छोटी जोत वाले किसान को दी जाने वाली सहायता 500/-रु. से कम नहीं होगी।
4.	**छोटे और सीमांत किसानों से भिन्न किसानों के लिए इनपुट सब्सिडी**	जिन मामलों में फसल का नुकसान 50% या इससे अधिक हो उनमें, धारित भूमि के आकार के बड़ा होते हुए भी क्रमिक आपदाओं की स्थिति में 1 हेक्टेयर प्रति किसान की सीमा के अध्यधीन तथा 2 हेक्टेयर प्रति किसान तक, निम्नलिखित दरों पर सहायता दी जा सकती है:- ➢ वर्षा सिंचित क्षेत्रों में **2,000/-रु. प्रति हेक्टेयर।** ➢ बीमाकृत सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए **4,000/-रु. प्रति हेक्टेयर।** ➢ सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए **6,000/-रु. प्रति हेक्टेयर।** o बिन बोई अथवा परती कृषि भूमि क लिए कोई इनपुट सब्सिडी देय नहीं होगी।
5.	**छोटे और सीमांत रेशम उत्पादक किसानों को सहायता**	➢ ऐरी, शहतूत और टसर के लिए **2000/-रु. प्रति हेक्टेयर।** ➢ मुगा के लिए **2,500/-रु. प्रति हेक्टेयर।**
6.	**रोजगार-सृजन** (केवल रोजगार-सृजन के तत्वों वाली विभिन्न योजनाओं/स्कीमों जैसे कि एन आर ई जी पी, एस जी आर वाई के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए)	➢ संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अकुशल श्रमिकों को देय न्यूनतम मजदूरी जितनी दैनिक मजदूरी दी जाए। ➢ राज्य के पास स्टॉक की उपलब्धता के अध्यधीन राहत निधि से अंशदान 8 किलोग्राम गेहूँ या 5 किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति प्रति दिन सीमित किया जाए। खाद्यानों की लागत "आर्थिक लागत" के आधार पर तय की जाए। ➢ न्यूनतम मजदूरी का बाकी भाग नकद दिया जाएगा। नकद राशि न्यूनतम मजदूरी के 25% से कम नहीं होगी। ➢ उपर्युक्त सहायता एक माह में 10 दिन की अवधि के लिए होगी (जिन क्षेत्रों में रोजगार सृजन के तत्वों वाली अन्य योजनाएं/परियोजनाएं लागू नहीं हैं वहां एक माह में 15 दिन)।

		➢ राज्य सरकार से अपेक्षित होता है कि वह आबंटन के आदेश के जारी होने के 03 महीने के अन्दर आबंटित खाद्यान्नों को ले लेगी और उनका उपयोग करेगी। उक्त अवधि को बढ़ाने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ➢ मामला-दर-मामला आधार पर वास्तविक मांग के आकलन के अध्यधीन, प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक इच्छुक ग्रामीण परिवार से एक व्यक्ति को काम दिया जाए। ➢ केन्द्रीय राहत निधि से दी जाने वाली सहायता के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से दी जाने वाली सहायता के लिए गठित केन्द्रीय दल द्वारा यथा आकलित।
7.	**पशुपालनः छोटे एवं सीमांत किसानों/कृषि मजदूरों को सहायता** (i) गैर-दुधारू पशुओं, दुधारू पशुओं या माल ढोने वाले पशुओं को बदलना।	**<u>दुधारू पशु</u>** (i) भैंस/गाय/ऊंट/याक इत्यादि के मामले में **10,000/-रु. की दर से** (ii) भेड़/बकरी के मामले में **10,000/-रु. की दर से** **<u>गैर-दुधारू पशुः</u>** (i)ऊंट/घोड़ा/बैल इत्यादि **1000/-रु.** की दर से (ii) बछड़ा/गधा और खच्चरों को **5000/-रु.** की दर से ➢ सहायता आर्थिक रूप से उत्पादक पशुओं की वास्तविक हानि तक सीमित की जा सकती है और यह सहायता प्रति परिवार 1 बड़े दुधारू पशु या 4 छोटे दुधारू पशु या 1 बड़े गैर-दुधारू पशु या 2 छोटे गैर-दुधारू पशु की सीमा के अध्यधीन होगी भले ही किसी परिवार को बड़ी संख्या में पशुओं की हानि हुई हो। (हानि को राज्य सरकार द्वारा पदनामित किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए)। **<u>मुर्गीपालनः</u>** ➢ प्रति लाभभोगी परिवार 300/-रु. की सहायता की सीमा के अध्यधीन 30/-रु. प्रति पक्षी की दर से। मुर्गियों की मृत्यु अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण होनी चाहिए।

		टिप्पणी: उस स्थिति में उन मानदंडों के तहत राहत प्राप्ति की पात्रता नहीं होगी यदि किसी अन्य सरकारी योजना में से सहायता उपलब्ध हो जैसे कि एवियन इन्फ्लुएन्जा या किसी अन्य बीमारी के कारण पक्षियों की हानि जिसके लिए पशुपालन विभाग के पास मुर्गीपालन स्वामियों को मुआवजा देने की पृथक योजना है।
	(ii) पशु-शिविरों में हरे चारे/चारे का प्रावधान	➢ बड़े पशु - **रुपये 20/-प्रतिदिन** ➢ छोटे पशु - **रुपये 10/-प्रतिदिन** **<u>सहायता प्रदान करने की अवधि</u>** i) **सूखे से भिन्न अधिसूचित आपदाएं** ➢ अधिकतम 15 दिन की अवधि तक। **<u>(ii) सूखा</u>** ➢ 60 दिन तक या भयंकर सूखे की स्थिति में 90 दिन तक। ➢ सूखे की स्थिति 90 दिन से ज्यादा बने रहने पर राज्य स्तरीय समिति, विस्तृत समीक्षा के बाद, आगे की अवधि तय करेगी जिसमें महीने-दर-महीने आधार पर वर्षा की कमी/शुरूआत की वास्तविक अवधि के साथ-साथ एनसीसीएफ से राहत दी जा सकती है।
	(iii) पशु शिविरों में जल-आपूर्ति	➢ सीआरएफ से सहायता प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय समिति तथा एनसीसीएफ से सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय दल द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। **<u>सहायता प्रदान करने की अवधि</u>** ***i) सूखे से भिन्न अधिसूचित आपदाएं*** ➢ अधिकतम 15 दिन की अवधि तक। **<u>(ii) सूखा</u>** ➢ 60 दिन तक तथा भयंकर सूखे की स्थिति में 90 दिन तक। ➢ सूखे की स्थिति 90 दिन से ज्यादा बने रहने पर राज्य स्तरीय समिति, विस्तृत समीक्षा के बाद, आगे की अवधि तय करेगी जिसमें महीने-दर-महीने आधार

		पर वर्षा की कमी/शुरूआत की वास्तविक अवधि के साथ-साथ एनसीसीएफ से राहत दी जा सकती है।
	(iv) दवाइयों तथा टीकों की अतिरिक्त लागत (आपदा संबंधी जरूरतें)	➢ सीआरएफ से सहायता प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय समिति तथा एनसीसीएफ से सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय दल द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।
	(v) पशु शिविरों से बाहर चारे की आपूर्ति	➢ आपदा के कारण हुई कीमत वृद्धि को निष्क्रिय करने के लिए स्वीकृत चारा डिपो से चारे के परिवहन संबंधी अतिरिक्त व्यय का निर्धारण, मामला-दर-मामला आधार पर, सीआरएफ से सहायता प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय समिति द्वारा तथा एनसीसीएफ से सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय दल द्वारा किया जाएगा।
	(vi) उपयोगी पशुओं को दूसरे क्षेत्रों में लाना-ले-जाना	➢ सीआरएफ से सहायता प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय समिति तथा एनसीसीएफ से सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय दल द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।
8.	**मछुआरों को सहायता** (क) क्षतिग्रस्त या गुम हुई नावों, जालों की मरम्मत/बदलना --नाव --डोंगी -छोटी नौका --कैटामरान --जाल (यदि लाभग्राही तत्काल आपदा के लिए अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत कोई सब्सिडी/सहायता ले चुका है/लेने का पात्र है, तो उसे यह सहायता नहीं दी जाएगी।)	➢ रुपए 2,500/- (आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त परंपरागत शिल्प (सभी प्रकार के) एवं जालों की मरम्मत के लिए)। ➢ रुपए 7,500/- (पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त परम्परागत शिल्प (सभी प्रकार के) एवं जालों को बदलने के लिए)। ▪ ऐसे परंपरागत शिल्पों का राज्य सरकार से पंजीकरण करवाया जाना है। ▪ क्षति (आंशिक या पूर्ण) की सीमा राज्य सरकार द्वारा अभिहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित/प्रमाणित की जाएगी।
	(ख) मछली सीड फार्म के लिए इन्पुट सब्सिडी	**रुपए 4,000/-प्रति हेक्टेयर** (पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय की योजना के अंतर्गत एक बारगी सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता को छोड़कर यह सहायता उस स्थिति में नहीं दी जाएगी। यदि लाभग्राही तत्काल आपदा के

		लिए किसी अन्य सरकारी योजना के तहत कोई सब्सिडी/सहायता ले चुका है/लेने का पात्र है)।
9.	**हस्तशिल्प/हथकरघा कारीगरों को क्षतिग्रस्त यंत्रों की मरम्मत/प्रतिस्थापन के लिए सब्सिडी के रूप में सहायता**	
	क) परम्परागत शिल्प के लिए (हस्तशिल्प)	
	(i) क्षतिग्रस्त यंत्रों/उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए	➢ **2,000/-रुपए प्रति कारीगर** ➢ क्षतिग्रस्त/प्रतिस्थापन राज्य सरकार द्वारा अभिहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित हो।
	(ii) कच्चे माल/निर्माणधीन सामान/तैयार सामान का नुकसान	➢ **2,000/-रुपए प्रति कारीगर** • क्षति/नुकसान राज्य सरकार द्वारा अभिहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित हो।
	ख) हथकरघा बुनकरों के लिए	
	(i) करघा उपकरणों तथा सहायक उपकरणों की मरम्मत/प्रतिस्थापन	**<u>करघे की मरम्मत के लिए</u>** ➢ **1000/-रुपए प्रति करघा** करघे की प्रतिस्थापन के लिए ➢ **2,000/-रुपए प्रति करघा** ➢ क्षति/प्रतिस्थापन सरकार द्वारा अभिहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।
	(ii) सूत तथा अन्य सामग्री जैसे डाई एवं रसायन तथा तैयार स्टॉक की खरीद	➢ **2,000/-रुपए प्रति करघा** ➢ क्षति/प्रतिस्थापन सरकार द्वारा अभिहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।
10.	**क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनरुद्धार के लिए सहायता**	➢ क्षतिग्रस्त मकान का निर्माण राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित एक अधिकृत निर्माण होना चाहिए। ➢ मकान की क्षति की सीमा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत तकनीकी प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाए।
	(क) पूर्णत: क्षतिग्रस्त/नष्ट मकान	
	(i) पक्का मकान	➢ **25,000/-रुपए प्रति मकान**
	(ii) कच्चा मकान	➢ **10,000/-रुपए प्रति मकान**

	(ख) बुरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान	
	(i) पक्का मकान	➢ **5,000/-रुपए प्रति मकान**
	(ii) कच्चा मकान	➢ **2500/-रुपए प्रति मकान**
	(ग) **आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान** - पक्का और कच्चा दोनों (झोंपड़ी को छोड़कर) (जहां क्षति कम से कम 15% हो)	➢ **1500/-रुपए प्रति मकान**
	(घ) झोंपड़ी:क्षतिग्रस्त/नष्ट	➢ **2000/-रुपए प्रति झोंपड़ी** ➢ *(झोंपड़ी से तात्पर्य है - अस्थायी रूप से रहने की कच्चे घर से निम्नतर, फूस, मिट्टी, प्लास्टिक शीट आदि से निर्मित घर जिसे राज्य/जिला प्राधिकारियों ने परम्परागत रूप से देखा एवं पहचाना तथा जाना हो)।*
11.	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल की आपात आपूर्ति की व्यवस्था	o सीआरएफ से दी जाने वाली सहायता के लिए राज्य स्तरीय समिति तथा एनसीसीएफ से दी जाने वाली सहायता के लिए केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार।
12.	महामारियों के फैलने को रोकने के लिए दवाइयों, संक्रमणरोधकों, कीटनाशकों की व्यवस्था	➢ यथोपरि
13.	अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के क्रम में फैलने वाली महामारियों से पशुओं एवं मुर्गियों को बचाने के लिए चिकित्सा देखभाल	➢ यथोपरि
14.	प्रभावित/प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों का बचाव	➢ यथोपरि
15.	तत्काल राहत एवं जीवन बचाने के लिए नावों को किराए पर लेना	➢ यथोपरि 0 सहायता की मात्रा, नावों को तथा फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए आवश्यक उपकरणों को किराए पर लेकर अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के समय मानव जीवन की रक्षा करने में हुए वास्तविक व्यय तक सीमित होगी।
16.	प्रभावित/बचाए गए व्यक्तियों (राहत शिविरों को संचालन के	▪ सीआरएफ से दी जाने वाली सहायता के लिए राज्य स्तरीय समिति तथा एनसीसीएफ से दी जाने वाली

	लिए) अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा देखभाल आदि की व्यवस्था	सहायता के लिए केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार। ▪ सहायता की मात्रा विनिर्दिष्ट अवधि में हुए वास्तविक व्यय तक सीमित होगी। **<u>अवधि</u>** ➢ सूखे से भिन्न प्राकृतिक आपदाओं के मामले में अधिकतम 15 दिन की अवधि तक। ➢ सूखे से भिन्न गम्भीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदाओं के मामले में अधिकतम 30 दिन की अवधि के लिए। **<u>सूखा</u>** ➢ सूखे के मामले में अधिकतम 60 दिन की अवधि तक तथा गम्भीर सूखे की स्थिति में 90 दिन तक राहत प्रदान की जा सकती है। ➢ यदि सूखे की स्थिति 90 दिन से अधिक रहती है तो राज्य स्तरीय समिति, विस्तृत समीक्षा के उपरान्त, माह दर माह आधार पर, वर्षा की कमी/शुरूआत की वास्तविक अवधि के साथ-साथ आगे की उस अवधि का निर्णय करेगी जिसके लिए राहत प्रदान की जा सकती है।
17.	आवश्यक वस्तुओं की हवाई जहाज से आपूर्ति	➢ सीआरएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए राज्य स्तरीय समिति तथा एनसीसीएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार। ➢ सहायता की मात्रा वायुसेना/अन्य वायुयान सेवाप्रदाताओं द्वारा आवश्यक वस्तुओं की हवाई जहाज से आपूर्ति तथा बचाव कार्यों से संबंधित बिलों में प्रस्तुत की गई वास्तविक राशि तक ही सीमित होगी।
18.	**पात्र क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त अवसंरचना की प्रकृति की मरम्मत/बहाली:** ➢ (1) सड़क एवं पुल (2) पेय जल आपूर्ति संबंधी कार्य	**<u>तात्कालिक स्वरूप के कार्यकलाप</u>** ➢ ऐसे कार्यकलापों, जिन्हें तात्कालिक स्वरूप के कार्य समझा जा सकता है, की विस्तृत सूची संलग्न **परिशिष्ट** में दी गई है।

	(3) सिंचाई (4)बिजली (प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की तत्काल बहाली तक ही सीमित है)(5)प्राथमिक शिक्षा (6)प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (7)पंचायतों के स्वामित्व वाली सामुदायिक परिसम्पत्तियां। ➢ इसमें दूरसंचार तथा बिजली (बिजली आपूर्ति की तत्काल बहाली को छोड़कर) जैसे क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है जो कि अपने निजी राजस्व का सृजन करते हैं, और अपनी स्वयं की निधियों/संसाधनों से तत्काल मरम्मत/बहाली कार्य करते हैं।	**समयावधि** ➢ तात्कालिक स्वरूप के कार्य करने के लिए निम्नलिखित समय सीमा निर्दिष्ट की गयी है:- **मैदानी क्षेत्रों के लिए** क)सामान्य प्रकृति की आपदा के मामले में 30 दिन। ख)गम्भीर प्रकृति की आपदा के मामले में 45 दिन। **पहाड़ी क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए** क) सामान्य प्रकृति की आपदा के मामले में 45 दिन। ख)गम्भीर प्रकृति की आपदा के मामले में 60 दिन। **आवश्यकताओं का आकलन** ➢ सीआरएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए राज्य स्तरीय समिति तथा एनसीसीएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार।
19.	सरकारी अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों के क्षतिग्रस्त चिकित्सा उपकरणों और नष्ट दवाइयों का प्रतिस्थापन	➢ सीआरएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए राज्य स्तरीय समिति तथा एनसीसीएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार। ➢ राहत की मात्रा किए गए वास्तविक व्यय तक सीमित होगी।
20.	एंबुलेंस सेवा, सचल चिकित्सा दलों और अस्थायी औषधालयों के लिए ऑपरेशनल लागत (केवल पीओएल)।	➢ यथोपरि ➢ ऑपरेशनल लागत के अंतर्गत आने वाली मदों की सूची में सामान्यतः निम्नलिखित मदें शामिल होगीं:- ▪ अस्थायी चिकित्सा शिविरों/अस्थायी औषधालयों के निर्माण की लागत। ▪ एंबुलेंस वाहनों को भाड़े पर लेना। ▪ केवल सचल चिकित्सा दलों के लिए परिवहन वाहनों को भाड़े पर लेना। ▪ सचल चिकित्सा दलों के लिए एंबुलेंस

		तथा परिवहन वाहनों संबंधी वास्तविक पीओएल व्यय।
21.	मलबा हटाए जाने की लागत	➢ सीआरएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए राज्य स्तरीय समिति तथा एनसीसीएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार। ➢ राहत की मात्रा किए गए वास्तविक व्यय तक सीमित होगी। ➢ मलबा हटाने की लागत में केवल आबादी वाले क्षेत्रों में पत्थरों, ईंटों, इस्पात/लोहे का मलबा हटाना शामिल है।
22.	प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ के पानी की निकासी	➢ सीआरएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए राज्य स्तरीय समिति तथा एनसीसीएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार। ➢ राहत की मात्रा किए गए वास्तविक व्यय तक सीमित होगी।
23.	खोज एवं बचाव उपायों की लागत	➢ सीआरएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए राज्य स्तरीय समिति तथा एनसीसीएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार। ➢ राहत की मात्रा अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के दो सप्ताह की अवधि के भीतर खोज एवं बचाव कार्यों पर किए गए वास्तविक व्यय तक सीमित होगी।
24.	शवों/जानवरों की लाशों को हटाना	➢ राज्य सरकार द्वारा यथासूचित अथवा केन्द्रीय दल द्वारा यथा संस्तुत, वास्तविक आधार पर।
25.	विभिन्न संवर्गों/सेवाओं से लिए गए राज्य के कार्मिकों/राज्य में आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों के विशेषज्ञ बहु-विषयी समूहों/दलों को प्रशिक्षण।	➢ राज्य स्तरीय समिति द्वारा किए गए आकलन के अनुसार व्यय केवल सीआरएफ से किया जाना है (एनसीसीएफ से नहीं)। ➢ मद सं. 25 और 26 पर सामूहिक रूप से कुल खर्च, सीआरएफ के वार्षिक आबंटन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।

26.	संचार उपकरणों सहित आवश्यक खोज, बचाव तथा लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने संबंधी उपकरणों की खरीद।	➢ यथोपरि
क्र.सं.	**नई मदें**	**मानदण्ड**
27.	**भूस्खलन, बादल फटना तथा हिमस्खलन**	➢ विभिन्न मदों के लिए मानदण्ड वहीं होंगे जो उपर्युक्त सूची के अनुसार अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के लिए लागू हैं।
28.	**कीट हमला (केवल टिड्डी दल एवं चूहों का खतरा)**	➢ जहां तक कीटों के हमले के कारण क्षतिग्रस्त फसल के लिए सहायता के मानदण्डों का संबंध है, यह अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुई क्षति के परिणामस्वरूप प्रभावित किसानों को प्रदत्त सहायता के अनुरूप होंगी। ➢ हालांकि, कीट नियंत्रण के लिए कीटनाशक दवाओं के हवाई छिड़काव संबंधी व्यय को कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय की चालू योजना के अंतर्गत वहन किया जाएगा, क्योंकि छिड़काव अधिक विशाल क्षेत्र पर किया जाना होता है न कि केवल खेत दर खेत आधार पर किसी एक किसान के स्वामित्व वाले खेत पर।
29.		**आग लगने संबंधी विद्यमान प्राकृतिक आपदा के लिए मानदण्ड**
	(i) <u>आग लगना</u>	▪ आकस्मिक रूप से आग लगने के परिणामस्वरूप दी जाने वाली सहायता आबादी वाले क्षेत्रों में जानों, अंगों, फसलों, सम्पत्ति आदि के नुकसान/क्षति के लिए अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के मामले में लागू मदों और मानदण्डों के अनुसार प्रदान की जाएगी। ▪ उपर्युक्त मानदण्ड के अनुसार सहायता की पात्रता राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाएगी। ▪ वनों में आग लगने की घटना को कुछ हद तक पर्यावरण और वन मंत्रालय की योजना अर्थात एकीकृत वन संरक्षण योजना के अंतर्गत किया जाएगा। वन्य-आग के कारण प्रभावित लोगों को जानों, अंगों, फसलों सम्पत्ति आदि के नुकसान/क्षति के

		लिए अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के मामले में लागू मदों और मानदण्डों के अनुसार उस सीमा तक सहायता प्रदान की जाएगी जिस सीमा तक इस प्रकार के नुकसानों को एकीकृत वन संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। ▪ जहां तक औद्योगिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से संबंधित आग की घटनाओं का संबंध है, इन्हें बीमा के अंतर्गत शामिल किया जाना अपेक्षित है।

****

परिशिष्ट

(मद सं. 18 से संबंधित)

तात्कालिक स्वरूप के कार्यकलापों के रूप में अधिसूचित कार्यकलापों की विस्तृत सूची

1. <u>पेयजल आपूर्ति:</u>

i) हैण्ड पम्पस/रिंग वैल्स/स्प्रिंग-टैप्ड चैम्बर्स/पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट्स, सिस्टर्न्स के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्मों की मरम्मत।

ii) क्षतिग्रस्त पाइपों के स्थान पर नए पाइप लगाने सहित क्षतिग्रस्त स्टैण्ड पोस्ट्स की बहाली, स्वच्छ जल के जलाशयों की सफाई (इसे लीक-प्रूफ बनाने के लिए)।

iii) क्षतिग्रस्त इन्टेक-अवसंरचनाओं, एप्रोच गेन्ट्रीज/जेट्टीज सहित क्षतिग्रस्त पंम्पिंग मशीनों, लीकिंग ओवर हैड जलाशयों और पानी के पम्पों की मरम्मत।

2. <u>सड़कें</u>

(i) दरारों और गढ्ढों को भरना, जल मार्ग बनाने के लिए पाइप का प्रयोग, तटबंधों की मरम्मत एवं पत्थर लगाना।

(ii) टूटी हुई पुलियों की मरम्मत।

(iii) तत्काल कनेक्टीविटी बहाल करने के लिए पुलों की क्षतिग्रस्त/बह गए हिस्सों को हटाने की व्यवस्था करना।

(iv) पुलों के पहुंच-मार्गों/पुलों के तटबंधों की अस्थायी मरम्मत, पुलों की क्षतिग्रस्त रेलिंग की मरम्मत, यातायात को बहाल करने के लिए सड़कों के क्षतिग्रस्त हिस्सों पर तत्काल कनेक्टीविटी बहाल करने हेतु जल-मार्गों, ग्रेन्युलर सब-बेस की मरम्मत।

3. <u>सिंचाई</u>

(i) क्षतिग्रस्त नहर अवसंरचनाओं की तत्काल मरम्मत तथा सीमेंट, रेत एवं पत्थरों का इस्तेमाल करके तालाबों और छोटे जलाशयों को मिट्टी से भरने/राजगिरी का कार्य।

(ii) बांध की दीवारों/तटबंधों में पाइपों की अथवा चूहे के बिलों जैसे कमजोर क्षेत्रों की मरम्मत।

(iii) नहरों एवं जल-निकासी के मार्ग से वानस्पतिक सामग्री/भवन-निर्माण सामग्री/मलबा हटाना।

4. <u>स्वास्थ्य</u>

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के क्षतिग्रस्त पहुंच मार्गों, भवनों तथा बिजली की लाइनों की मरम्मत।

5. पंचायतों की सामुदायिक परिसम्पत्तियां

क. गांव की आन्तरिक सड़कों की मरम्मत

ख. जल-निकासी/सीवरेज मार्गों से मलबा हटाना

ग. आन्तरिक जल आपूर्ति लाइनों की मरम्मत

घ. स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत

ङ प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत घरों, सामुदायिक हालों, आंगनबाड़ी की अस्थायी मरम्मत।

*****